कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक
चूरू (राज.)

क्रमांक : 3377-91 दिनांक : 11/06/2022

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अनतर्गत लागू **"इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)"** के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिले की समस्त नगर निकायों यथा नगरपरिषद चूरू, सुजानगढ़, नगरपालिका रतनगढ़, राजगढ़, सरदारशहर, राजलदेसर, बीदासर, तारानगर, रतननगर एवं छापर हेतु निम्नानुसार (कार्मिक विभाग की अधिसूचना No. F117(4)DOP/A-2?2014 दिनांक 11.01.2022 अनुसार) पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते है :–

क्रं. सं.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	मासिक मानदेय	पदों की संख्या
01	वरिष्ठ तकनिकी सहायक	सिविल अभियान्त्रिकी में स्नातकोतर/ स्नातक डिग्री।	40000/–	10
02	कनिष्ठ तकनिकी सहायक	सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा	30000/–	22
03	लेखा सहायक	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/ICWA(इन्टर)/कम्पनी सेकेटरी (इन्टर)	25000/–	20
04	MIS मैनेजर	BCA	25000/–	12
05	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + RSCIT कोर्स उतीर्ण	15000/–	26

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय प्रमाणित शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 20.06.2022 को 6.00 पी.एम. तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरू व्यक्तिशः अथवा ई–मेल dmchuru@gmail.com पर भिजवा सकते है। विज्ञप्ति से सम्बन्धित अन्य सूचनाऐं/निर्देश जिला वेब साईट churu.rajasthan.gov.in तथा dm-chu-rj@nic.in पर प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जावे।

संलग्न – शर्तें

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरू

क्रमांक : 3377-91 दिनांक : 11/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, निदेशालय स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. उपनिदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरपरिषद/नगरपालिका समस्त जिला चूरू
5. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर चूरू को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने आगामी अंक में कम से कम स्पेश में (राज्य स्तर पर) करवाया जाना सुनिश्चित करे। भुगतान डीपीआर में स्वीकृत दर के अनुसार देय होगा।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरू

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक चूरू (राज.)

शर्ते :–

1. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट के आधार पर होगी इसके लिए साक्षात्कार हेतु कोई प्रावधान नही रखा गया है।
2. संवीदा अभ्यार्थीयों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु 80 प्रतिशत पद पर डिग्री धारियों तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमा धारियों से भरे जावेंगे।
4. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी।
5. चयनोपरान्त एक अभ्यार्थी द्वारा केवल एक ही निकाय में अनुबंध किया जावेगा। एक से अधिक अनुबंध करने पर संविदा नियुक्ति अनुबंध स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी का पदस्थापन उपरोक्तानुसार जिला चूरू की किसी भी नगरपरिषद/पालिका में जरिये लोटरी से किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी स्थान विशेष पर पद स्थापन की मांग नही कर सकेगा। लॉटरी द्वारा आवंटित स्थान पर कार्य ग्रहण नही करने पर 03 दिवस पश्चात आरक्षित सूची (वेटिंग लिस्ट) से अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति दी जावेगी।
6. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT कोर्स के प्राप्तांकों के आधार पर की जायेगी परन्तु मेरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर किया जावेगा।
7. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिए कुल पदों का क्रमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतिक्षा सूची तैयार की जावेगी।
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 के क्रम में संविदा भर्ती के पदों का आरक्षण/रोस्टर एकीकृत रूप से जिला स्तर पर रखा जायेगा ना कि प्रत्येक नगर निकाय के स्तर पर अर्थात संविदा भर्ती की यूनिट जिला (DPC) होगा ना कि नगरीय निकाय।
9. संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के संविदा पदों की पदवार गणना कर जिला स्तर पर ही की जावेगी, जिसमें संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 10 के अनुसार प्रावधिक आरक्षण प्रावधानों की पालना की जावेगी। पारदर्शिता हेतु चयन उपरांत इनका आवंटन स्थानीय निकायों को लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा ताकि किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार का स्थान नही हो।
10. संविदा भर्ती किये जाने के उपरान्त नगरीय निकायों का आवंटन कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
11. आयु – न्युनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष (दिनांक 01.06.2022 तक) एवं कामिक विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2022 के अनुसार वर्ग की पात्रता अनुसार छूट देय होगी।
12. उक्त संविदा कार्मिकों की भर्ती Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के अन्तर्गत विहित निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर संविदा पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।
13. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। आरक्षण हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आयु का निर्धारण 10वीं कक्षा की अंकतालिका/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। चरित्र प्रमाण पत्र/स्वास्थय प्रमाण पत्र. के साथ ही विवाह/संतान सम्बन्धी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो आवेदन पर के साथ प्रस्तुत कर सकते है तथा संविदा नियुक्ति के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी आवश्यक होगी, अन्यथा संविदा नियुक्ति नही दी जावेगी।
14. आवेदन की सभी प्रविष्टियां पूर्ण होनी आवश्यक है तथा तदानुसार सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित फोटों प्रतियां संलग्न होने आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
15. संविदा कार्मिक की सेवाऐं संतोषप्रद नही होने पर संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
16. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति का होगा।
17. उपरोक्त संविदा भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क देय नही होगा।

जिला कलक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक,
चूरू

प्रारूप

आवेदन का प्रारूप

इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

जिला :–

आवेदक का नाम :–	
लिंग (पुरूष / स्त्री)	
पिता / पति का नाम :–	
आवेदक की जन्म तिथि :–	
मूल निवासी :–	
पद जिसके लिए आवेदन :–	
आवेदक की शैक्षिक योग्यता :–	
अनुभव :–	
वर्ग :–	
मोबाईल नम्बर :–	
ई–मेल आई.डी. :–	

शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय	प्राप्तांक	प्रतिशत	
माध्यमिक					
सी. सैकण्डरी					
डिग्री / डिप्लोमा					
अन्य योग्यता					

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम मय पत्र व्यवहार का पता

शपथ ग्रहिता

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाऐं सत्य है एवं कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये है।

हस्ताक्षर

Scanned with